

4-6-25

आपिनका कार्य उपर नहीं। चूंकि
मुलवाक अदालत में। अदालत हाजरी
में रकारिण किया जा चुका है। अतः
वि. जा. पत्र 212 RTA का कोई आचल्य
नहीं रह जाता है। अतः वि. जा. पत्र
212 RTA सं. 001/2025 अनवाक
रुशीला व अन्य वरान राफेरी देवी
व अन्य वकील पाथी की अदालत में।
अदालत हाजरी में रकारिण किया जाता
है। पत्रावली नस्टीविडु है। पत्रावली
शायरा पाजिका के काम से कद की जाकर
निष्पत्ती सूची में शामिल है। सु

